न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/51/2024	2024/113	30.10.2024	23.05.2025

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री रामदयाल मीणा पुत्र श्री सोहन लाल मीणा, निवासी 1/59, काला कुंआ हाउसिंग बोर्ड अलवर राज0।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 04 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थिति :—

1. प्रवर्तन अधिकारी —विभागीय प्रतिनिधि।
2. सतीश कौशिक —अप्रार्थी अधिवक्ता।

:: निर्णय ::

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 04 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 21.09.2024 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी वहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, श्री कृष्ण कुमार बॉयला, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु श्री रामदयाल मीणा पुत्र श्री सोहन लाल मीणा, निवासी 1/59, काला कुंआ हाउसिंग बोर्ड, अलवर की मुकेश स्वीट्स, 1/59, काला कुंआ हाउसिंग बोर्ड, अलवर पर स्थित दुकान पर पहुंचे।

मौके पर श्री रामदयाल मीणा पुत्र श्री सोहन लाल मीणा, निवासी 1/59, काला कुंआ हाउसिंग बोर्ड, अलवर उपस्थित मिले। श्री रामदयाल मीणा पुत्र श्री सोहन लाल मीणा की दुकान पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। श्री रामदयाल मीणा पुत्र श्री सोहन लाल मीणा द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री रामदयाल मीणा के द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 4 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 4 घरेलू गैस सिलेण्डर को मै० मॉडर्न गैस, अलवर के प्रतिनिधि श्री प्रेमप्रकाश मीणा पुत्र श्री हरिकिशन मीणा को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 4 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की कृपा करें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अप्रार्थी ने कोर्ट द्वारा जारी नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि मिन प्रार्थी फर्म मुकेश स्वीटस वाके 1/59 काला कुंआ हाउसिंग बोर्ड अलवर के नाम से कार्य कारोबार करता है। जिस कार्य के लिए प्रार्थी कॉमर्शियल गैस सिलेन्डर का ही उपयोग करता है। उपरोक्त वर्णित कार्य के लिए मिन प्रार्थी ने कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग नही किया ना ही भविष्य में करेगा। उपरोक्त कारोबार स्थल वाके 1/59 काला कुंआ हाउसिंग बोर्ड अलवर के प्रथम मंजिल पर मिन प्रार्थी अपने परिवार सहित रिहायश भी रखता है व नीचे उपरोक्त कार्य कारोबार दुकान कार्य करता है। मैसर्स मॉर्डन गैस सर्विस व अम्बेश गैस सर्विस गैस ऐजेन्सीयो की गाडी मिन प्रार्थी की उपरोक्त दुकान के पास आती है। जहाँ से प्रार्थी व अन्य आस पडौसी व परिचित अपने अपने गैस सिलेण्डरो की सप्लाई लेते है। प्रार्थी की उक्त दुकान के पास ही गैस सिलेण्डरो की लिकेज आदि दुरूस्त करने की एक दुकान भी स्थित है। वक्त जांच से कुछ समय पूर्व ही मिन प्रार्थी की दुकान पर कार्य करने वाले हैल्पर राजेन्द्र मीणा द्वारा अपना इण्डेन कम्पनी अम्बेश गैस सर्विस का एक गैस सिलेण्डर भरवाकर शाम को दुकान से छुटटी होने पर घर ले जाने के लिए लेकर रख लिया था, उक्त गैस कनैक्शन हैल्पर राजेन्द्र मीणा की पत्नी कुन्ती मीणा के नाम पर है व दो खाली गैस सिलेण्डर इन्डेन कम्पनी अम्बेश गैस सर्विस के जो परिचित नन्दसिंह तंवर के थे, प्रार्थी की दुकान पर नन्द सिंह तंवर भरवाने के लिए रख गया था लेकिन वो गैस ऐजेन्सी की गाडी आने के वक्त, वक्त पर नही आ सका जिस कारण उक्त गैस सिलेण्डर भर नही सके। इसी प्रकार एक गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी मॉर्डन गैस सर्विस का जिसमे पैंदे में थोडी गैस थी जो गैस सिलेण्डर प्रार्थी के ही परिवार के सदस्य हरीराम मीणा पुत्र रामजीलाल मीणा का है, गैस सिलेण्डर में लीकेज होने की समस्या होने के कारण उक्त गैस सिलेण्डर को ठीक कराने के लिए प्रार्थी ने अपनी दुकान पर बाहर रखा हुआ था। गैस सिलेण्डर लीकेज ठीक करने वाला पास का ही दुकानदार किसी काम से कुछ देर के लिए कही गया हुआ था।

वक्त जांच, जॉचकर्ता को उपरोक्त वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया था। प्रार्थी की कोई बदयांती नही रही है। मिन प्रार्थी कानून में पूर्ण आस्था रखता हैं। इस प्रकार उक्त गैस सिलेण्डर की बाबत प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत अपराध साबित नही होता है और ना ही प्रार्थी द्वारा उक्त धारा के तहत कोई अपराध कारित किया है। प्रार्थी निर्दोष है। जांच अधिकारी को तमाम तथ्यो से वक्त दौराने जांच अवगत करा दिया गया था लेकिन उसके बावजूद गलत आधार पर प्रार्थी को यह नोटिस प्रेषित कराया हैं। प्रार्थी द्वारा कोई अवैध रूप से संग्रहित नही किया गया है और ना ही उपरोक्त जप्त गैस सिलेण्डरो का व्यावसायिक रूप में उपयोग में लिया गया है। उक्त जप्त गैस सिलेण्डरो से संबंधित आवश्यक दस्तावेजो की प्रतियां संलग्न हैं। प्रार्थी उक्त जप्त 4 गैस सिलेण्डर वापिस पाने का हकदार है जो वापिस लौटाये जावे और इस नोटिस के भार से मुक्त किया जाना आवश्यक है। उक्त 4 गैस सिलेण्डर प्रार्थी के आधिपत्य से जप्त किया है इसलिए प्रार्थी उक्त जप्त 4 गैस सिलेण्डरो को वापिस पाने का हकदार है। अतः जवाब नोटिस पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को नोटिस के भार से मुक्त किया जाकर जप्त 4 गैस सिलेण्डर वापिस प्रार्थी को दिए जाने की कृपा करें।

पत्रावली एवं प्रस्तुत जवाब का का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी श्री रामदयाल मीणा पुत्र श्री सोहन लाल मीणा की दुकान पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले, जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। अप्रार्थी श्री रामदयाल मीणा पुत्र श्री सोहन लाल मीणा द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी श्री रामदयाल मीणा के द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)